

-: आदेश:-

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर नियमावली-2008(यथा संशोधित) के नियम-3 के उपनियम-3 सपठित नियम-4(11) तथा नियमावली के नियम-3(3) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नवत् तालिका के कालम-3 में अंकित पद पर कार्यरत ज्वाइन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर की पदोन्नति होने के फलस्वरूप, सम्बन्धित पद का अतिरिक्त प्रभार उनके सम्मुख कालम-4 व 5 में अंकित ज्वाइन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर को एतद्द्वारा प्रदान किया जाता है। एतदर्थ अलग से कोई वेतन/भत्ता देय नहीं होगा:-

क्र० सं०	जोन का नाम	रिक्त जोन का नाम	अतिरिक्त क्षेत्राधिकार जिन्हें प्रदान किया जा रहा है	
			सम्भाग/न्यायिक सम्भाग का नाम	अधिकारी का नाम
1	2	3	4	5
1	गाजियाबाद-द्वितीय	ज्वाइन्ट कमिश्नर(वि०अनु०शा०) वाणिज्य कर, बुलन्दशहर	ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्यपालक) वाणिज्य कर, बुलन्दशहर	श्री उत्तम सिंह

2- उक्त पद पर नियमित तैनाती हो जाने पर यह आदेश स्वतः निरस्त हो जाएगा।

ह/ -

( मृत्युंजय कुमार नारायण )

कमिश्नर वाणिज्य कर,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन पत्र संख्या एवं दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- अनु सचिव, कर एवं निबन्धन अनुभाग-1/4, उत्तर प्रदेश शासन।
- 2- जिलाधिकारी, बुलन्दशहर।
- 3- एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्य कर, जोन द्वितीय, गाजियाबाद
- 4- एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2(वि०अनु०शा०) जोन द्वितीय, गाजियाबाद।
- 5- सम्बन्धित अधिकारी को नाम से अनुपालनार्थ।
- 6- सम्बन्धित अधिकारी की व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।
- 7- असिस्टेंट कमिश्नर(आई०टी०) वाणिज्य कर, मुख्यालय को विभागीय वेबसाइट हेतु।

( विनोद कुमार सिंह )

ज्वाइन्ट कमिश्नर(स्थापना) वाणिज्य कर,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।